न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा राज0

बईजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस0)

दावा मु.नं. 68/21

1. शमीम बनो उर्फ मांगी पुत्री बफाती पत्नि शरीफ खान आयु 69 वर्ष जाति मुस्लमान निवासी कुराड तहसील कनवास जिला कोटा हाल निवासी वार्ड नबंर 06 ग्राम पंचायत खीमच तहसील रामगंजमंडी ज़िला कोटा राजस्थान।

–वादीगण–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादी–

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित –

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री महेश कुमार मालव
प्रतिवादी 01 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

निर्णय

दिनांक– 15/7/2021

वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद अन्तर्गत धारा 88.89 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादनी के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम कुराड तहसील कनवास जिला कोटा (राज0) में मुताबिक जमाबंदी से 2074 –2077 खाता संख्या नई 25 के खसरा नबंर 506 की रकबा 1.52 है0, व खसरा नबंर 915 की रकबा 0.23 है0, खसरा नबंर 916 रकबा 0.31 है0, कुल किता 03 की कुल रकबा 2.06 हैक्टयर आराजी स्थित है। जिसमें वादनी का 1/9 हिस्सा निहित है। यह कि उक्त वर्णित आराजी हमारी पैतृक आराजी है। जो हमारे पिता स्वर्गीय बफाती जी से हमारे विरासत से आयी है।
यह कि हमारे पिता स्वर्गीय बफाती की मृत्यु के पश्चात खुले फोतीइंतकाल में वादनी का घर का बोलता नाम मांगी लिखा दिया है, इसलिये राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम मांगी पुत्री बफाती दर्ज हो रहा है। जबकि वादनी के आधार कार्ड, पहचान –पत्र, राशन कार्ड, बेंक डायरी, आदि में वादनी का नाम शमीम बानो पत्नि शरीफ खान दर्ज हो रहा है। तथा ससुराल का पता वार्ड नबंर 06 पंचायत के पास खीमच तहसील रामगंजमंडी जिला कोटा दर्ज हो रहा है। यह कि वादनी के राजस्व रिकार्ड एवं पहचान–पत्र के दस्तावेजों में नाम की भिन्नता आने के कारण वादनी के कृषि कनेक्शन करवाने, सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करनें, सरकारी कांटो पर अनाज बेचाने इत्यादि में भारी परेशानी आ रही है।
यह कि वादनी का उक्त त्रृटि की जानकारी दिनांक 23.06.2021 को नकल जमाबंदी प्राप्त कर उसे देखने पर हुयी , इसलिये वाद कारण दिनांक 23.06.2021 को उत्पन्न हुआ।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

वादनी द्वारा पुनः वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादनी का वाद स्वीकार कर वाद पत्र के पैरा नबंर 01 में वर्णित माल ग्राम कुराड तहसील कनवास के खसरा नबंर 506 की रकबा 1.52 है0, व खसरा नबंर 915 की रकबा 0.23 है0, खसरा नबंर 916 रकबा 0.31 है0, कुल किता 03 की कुल रकबा 2.06 हैक्टयर आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम मांगी के स्थान पर शुद्ध कर शमीम बानो पत्नि शरीफ खान पुत्री बफाती जाति मुस्लमान निवासी कुराड हाल निवासी खीमच दर्ज किया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी राजस्थान सरकार की तलवी जारी की गई। प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास ने दिनांक 14.07.2021 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने ग्राम कुराड की आराजी खसरा नबंर 506 की रकबा 1.52 है0, व खसरा नबंर 915 की रकबा 0.23 है0, खसरा नबंर 916 रकबा 0.31 है0, कुल किता 03 की कुल रकबा 2.06 हैक्टयर के राजस्व रेकार्ड में दर्ज नाम मांगी पुत्री के स्थान पर शमीम बानो पुत्री बफाती कराने में किसी प्रकार की आपत्ति जाहिर नहीं की है व नाहीं वादी के वाद का खण्डन किया गया है।
वादनी द्वारा साक्ष्य में इब्राहिम पुत्र बफाती निवासी कुराड तहसील कनवास, खलील पुत्र बफाती निवासी कुराड , व ग्राम पंचायत कुराड, व ग्राम पंचायत खीमच द्वारा जारी प्रमाण–पत्र, स्वयं के आधार कार्ड की प्रति, राशन कार्ड की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति, बैंक डायरी इत्यादि प्रस्तुत किये गये। जिनमें वादनी का सही नाम शमीम बानो पत्नि शरीफ खान अंकित है।

हमारे द्वारा वादनी के प्रस्तुत वाद में अंकित तथ्यों, जवाब सरकार, साक्ष्यों का अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर हम माल ग्राम कुराड के खसरा नबंर 506 की रकबा 1.52 है0, व खसरा नबंर 915 की रकबा 0.23 है0, खसरा नबंर 916 रकबा 0.31 है0, कुल किता 03 की कुल रकबा 2.06 हैक्टयर के राजस्व रेकार्ड में वादनी का नाम मांगी पुत्री बफाती के स्थान पर मांगी उर्फ शमीम बानो पत्नि शरीफ खान पुत्री बफाती दर्ज किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

अतः वादनी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम कुराड के खसरा नबंर 506 की रकबा 1.52 है0, व खसरा नबंर 915 की रकबा 0.23 है0, खसरा नबंर 916 रकबा 0.31 है0, कुल किता 03 की कुल रकबा 2.06 हैक्टयर के राजस्व रेकार्ड में वादनी का नाम मांगी पुत्री बफाती के स्थान पर मांगी उर्फ शमीम बानो पत्नि शरीफ खान पुत्री बफाती निवासी खीमच तहसील रामगंजमंडी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।
निर्णय आज दिनांक 15.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी कनवास

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास** मुकाम **कनवास**

न्यायालय ब इजलास राजेश डागा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

मु.नं 68/21

बउनवान

1. शमीम बनो उर्फ मांगी पुत्री बफाती पत्नि शरीफ खान आयु 69 वर्ष जाति मुस्लमान निवासी कुराड तहसील कनवास जिला कोटा हाल निवासी वार्ड नबंर 06 ग्राम पंचायत खीमच तहसील रामगंजमंडी जिला कोटा राजस्थान।

–वादीगण–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादी–

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित –

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री महेश कुमार मालव
प्रतिवादी 01 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

मुकदमा नं. **68/21** सन **2017** तारीख फैसला **15.07.2021** आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी एडवोकेट **श्री महेश कुमार मालव** मिनजानिब मुदई व **प्रतिवादी नबंर 03 व 04 स्वयं तथा प्रतिवादी नबंर 06 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है अंतिम डिक्री जारी की जाती है कि माल ग्राम कुराड के खसरा नबंर 506 की रकबा 1.52 है0, व खसरा नबंर 915 की रकबा 0.23 है0, खसरा नबंर 916 रकबा 0. 31 है0, कुल किता 03 की कुल रकबा 2.06 हैक्टयर के राजस्व रेकार्ड में वादनी का नाम मांगी पुत्री बफाती के स्थान पर मांगी उर्फ शमीम बानो पत्नि शरीफ खान पुत्री बफाती निवासी खीमच तहसील रामगंजमंडी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती **है**। नीज ... **X** ...मुबलिग .... **X** ...बाबत ... **X** ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... **X** ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... **X** ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **15 माह जुलाई 2021** को जारी की गई।

मोहर ....

उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा "" स्टाम्प वकालतनामा "" स्टाम्प वजह सबूत "" महनताना वकील "" खर्चा गवाहान "" फीस कमिश्नर "" बाबत इजराय हुकमनामा "" मुतफर्रिक ""	---------NIL-------		स्टाम्प वकालतनामा "" स्टाम्प अर्जी "" महनताना वकील "" खर्चा गवाहान "" फीस कमिश्नर "" बाबत इजराय हुकमनामा "" मुतफर्रिक "" मीजान ""	---------NIL-------	
मीजान ""					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

राजेश डाम्रू (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)